

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व संपुद्धल उपायिधर  
सर्किट कोर्ट रीवा



1. नरेश प्रताप सिंह तनय वासुदेव सिंह (मृत) द्वारा वारिसान  
(अ) राजेश सिंह तनय स्व० नरेश प्रताप सिंह  
(ब) वीरेश सिंह तनय स्व० नरेश प्रताप सिंह  
(स) धीरेश सिंह तनय स्व० नरेश प्रताप सिंह
2. रुद्र प्रताप सिंह तनय लालददन सिंह निवासी खाझा हाल मुकाम  
झिरिया रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा (म०प्र०)..... निगरानीकर्तागण

बनाम

1. सुरेन्द्र सिंह तनय जगन्नाथ सिंह  
पूजा ट्रेवल्स रीवा।
2. शासन म०प्र०

.....गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय कलेक्टर  
जिला रीवा निगरानी प्रकरण क्रमांक  
267अ12/निगरानी 2000,2001 आदेश  
दिनांक 12/02/2018 अन्तर्गत धारा 50  
म०प्र०भू०रा०सं० 1959 ई०

महोदय ,

संक्षिप्त विवरण

1. यह कि गैर निगरानीकर्ता द्वारा तहसीलदार तहसील रीवा के भूमि नं०  
443/4 रकवा 0.11 एकड के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र  
म०प्र०भू०रा०सं० की धारा 129 के तहत प्रस्तुत किया गया जिस पर  
राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 13/06/2001 को सूचना पत्र जारी  
कर दिनांक 17/06/2001 को प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कर स्थल  
पंचनामा व सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 19/06/2001 को तैयार कर  
प्रस्तुत किया गया जिसकी पुष्टि प्रकरण क्र० 137अ12/2000-2001 मे  
पारित आदेश दिनांक 29/06/2001 को तहसीलदार तहसील हुजूर  
द्वारा की गई जिसकी जासकारी होने पर निगरानीकर्तागण द्वारा


*SM*

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक निग0/2679/2018/रीवा/भू-रा0

जिला रीवा

नरेश प्रताप सिंह वगैरः/ सुरेन्द्र सिंह

(1)	(2)	(3)
18-12-18-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री अरूण द्विवेदी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 267/अ-12/निगरानी/2000-01 में पारित आदेश दिनांक 12.02.18 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 20.02.19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	